प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 16.08.2026**

➢ **थाना राजपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज हत्या की घटना में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 14.08.2026 को वादी द्वारा थाना राजपुर पर तहरीर दी गई कि वादी की पुत्री की शादी में दिये गये दहेज से उसकी पुत्री के ससुरालीजन का संतुष्ट न होना, अतिरिक्त दहेज की मांग करना, मांग पूरी न होने पर वादी की पुत्री के साथ गाली-गलौज व मारपीट करना तथा दिनांक 13.08.2026 को अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री के साथ मारपीट कर फांसी लगा कर जान से मार देना, जिसके संबंध में थाना राजपुर पर **मु0अ0सं0 090/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** बनाम अखिलेश पुत्र विश्वनाथ निवासी ग्राम भाल थाना राजपुर, जनपद कानपुर देहात आदि 08 नफर अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में थाना राजपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 16.08.2026 को अभियुक्त अखिलेश उपरोक्त को उसके घर ग्राम भाल थाना क्षेत्र राजपुर से गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. अखिलेश पुत्र विश्वनाथ निवासी ग्राम भाल थाना राजपुर, जनपद कानपुर देहात उम्र 36 वर्ष।

अभियुक्त अखिलेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0स0 090/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना राजपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नीरज कुमार
2. का0 58 सर्वजीत सिंह
3. रि0का0 655 राजा